

अभियंता प्रमुख का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, पटना।

पत्रांक:-मु०अ०-4(मु०)विविध कार्य-23-87/2018 3977

/पटना, दिनांक:- 28.09.2021

प्रेषक,

अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा में,

मुख्य अभियंता-1, 2 एवं 3
सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल
सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल

विषय:-ग्रामीण कार्य विभाग अन्तर्गत प्रस्तावित नये पुलों का DPR पुल परामर्शी को उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि, वर्तमान में राज्य योजनान्तर्गत पुलों का DPR सक्षम प्राधिकार से तकनीकी अनुमोदनोपरांत प्रशासनिक स्वीकृति हेतु सीधे विभाग को उपलब्ध कराया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत DPR कार्यपालक अभियंता द्वारा सीधे STA को उपलब्ध कराया जाता है।

विभाग द्वारा वर्तमान पद्धति में संशोधन की आवश्यकता महसूस की गयी है। सभी मामलों में सर्वप्रथम DPR विभाग में नियुक्त पुल सलाहकार कोषांग में उपलब्ध कराया जाय। पुल सलाहकार द्वारा तकनीकी परीक्षण के पश्चात् प्राप्त DPR को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मामले में संबंधित कार्यपालक अभियंता एवं अन्य मामले में तकनीकी अनुमोदन हेतु विभागीय सक्षम प्राधिकार को आगे की कार्रवाई हेतु वापस किया जायेगा।

उक्त के आलोक में संबंधित को निदेश दिया जाता है कि इसका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन


(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:- मु०अ०-4(मु०)विविध कार्य-23-87/2018 - 3977

पटना, दिनांक :- 28.09.2021

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

ज्ञापांक:- मु०अ०-4(मु०)विविध कार्य-23-87/2018 - 3977

पटना, दिनांक :- 28.09.2021

प्रतिलिपि:-वरीय पुल सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ज्ञापांक:- मु०अ०-4(मु०)विविध कार्य-23-87/2018 - 3977

पटना, दिनांक :- 28.09.2021

प्रतिलिपि:-आई० टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख